



पत्रांक: 2532 /82 व्यक-सामान्य/2020

दिनांक 15/10/2020

कार्यालय ज्ञाप

शासकीय पत्र संख्या 829/111(1)/20-01(14)/अधि0/14 दिनांक 22.06.2020 के माध्यम से प्राप्त मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 51/XXX(21)/2020/55(21)/2001 दिनांक 05.05.2020 द्वारा उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवा संवर्ग के अन्तर्गत 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर सरकारी सेवकों के अनिवार्य सेवा निवृत्ति हेतु जारी निर्देशों के क्रम में इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या 1327/82 व्यक-सामान्य/2020 दिनांक 02.07.2020 द्वारा 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके ऐसे कार्मिक जिनके नियुक्ति अधिकारी विभागाध्यक्ष से भिन्न अर्थात् मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता हैं की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्रकरणों पर विचार किये जाने हेतु क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता की अध्यक्षता में कुल तीन सदस्यीय स्कीनिंग कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें त्रुटिवश ऐसे कार्मिक जिनके नियुक्ति प्राधिकारी अधिशासी अभियन्ता हैं अंकित होने से छूट गया।

अतः इस कार्यालय के उपरोक्त ज्ञाप संख्या 1327/82 व्यक-सामान्य/2020 दिनांक 02.07.2020 द्वारा जारी आदेशों में 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके ऐसे कार्मिक जिनके नियुक्ति अधिकारी विभागाध्यक्ष से भिन्न अर्थात् मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता हैं के स्थान पर 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके ऐसे कार्मिक जिनके नियुक्ति अधिकारी विभागाध्यक्ष से भिन्न अर्थात् मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता पढ़े जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं। स्कीनिंग कमेटी एवं अन्य शर्तें पूर्ववत्/यथावत् रहेंगी। कार्मिक के नियुक्ति प्राधिकारी अधिशासी अभियन्ता स्कीनिंग कमेटी में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/सदस्य के रूप में होंगे।

51-
(हरिओम शर्मा)

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस कार्यालय के 1327/82 व्यक-सामान्य/2020 दिनांक 02.07.2020 के क्रम में उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड।
4. वरिष्ठ स्टाफ् आफिसर (अधिष्ठान- I), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड।
6. अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
7. अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0सैल), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र की प्रति विभागीय वेबसाईट में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
8. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (प्रथम/द्वितीय), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
9. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी, व्यवस्थापन ख/ग/घ एवं वर्कचार्ज वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
10. गार्ड पत्रावली।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष